झारखंड उच्च न्यायालय,रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 621/2024

1.तपन मंडल, उम्र लगभग :- 42 वर्ष, पिता - विशु मंडल,

2.डोली मंडल, उम्र लगभग :- 39 वर्ष, की पति - तपन मंडल,

3.षष्ठी मंडल, उम्र लगभग:- 69 वर्ष, पति - बिशु मंडल, सभी निवासी ग्राम

मसलंदपुर, डाक घर - महतापुर,

थाना - बरहरवा, जिला- साहिबगंज

... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ... विरोधी पक्षकार------

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री राजा रवि शेखर सिंह, राज्य के वकील

राज्य के लिए : श्री शैलेश कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पी.पी.

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना

2.यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, राजमहल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2019 को रद्द करने और रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो जीआर संख्या 1155/2018 (एसटी संख्या 107/2022) के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम वर्ग, राजमहल ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 313 के तहत और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए संज्ञान लिया और उक्त मामला अब विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1, राजमहल के समक्ष लंबित है।

3.मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता राधानगर थाना कांड संख्या 153/2018 के नामित आरोपी हैं, जो मुखबिर/शिकायतकर्ता की शिकायत के परिणामस्वरूप दर्ज किया गया था, जिसे सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को भेजा गया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ सबूतों के अभाव में मुकदमे के लिए नहीं भेजा, लेकिन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, राजमहल ने आदेश में उल्लेख किया है

> दिनांक 06.09.2019 के आदेश के अनुसार मामले के अभिलेखों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि *प्रथम दृष्टया*
>
> उन सभी आरोप-पत्र अभियुक्तों के विरुद्ध मामला बनता है जिनको विचारण के लिए नहीं भेजा है और भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 313 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भी संज्ञान लिया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जांच अधिकारी के निष्कर्ष से भिन्न होने का कोई कारण नहीं बताया गया है, इसलिए, आक्षेपित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील रमेश मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य **आपराधिक विविध याचिका संख्या 1782/2016** दिनांक 11.04.2017 **में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा करते हैं**

> जिसमें समन्वय पीठ ने
>
> कानून के स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से बाध्य नहीं है और स्वतंत्र रूप से, मजिस्ट्रेट को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना होगा कि क्या संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और संज्ञान लेते समय, मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाना चाहिए। इसलिए, यह प्रस्तुत

किया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, राजमहल द्वारा पारित दिनांक 06.09.2019 का आक्षेपित आदेश

राधानगर थाना कांड संख्या 153/2018 के अनुरूप जीआर संख्या 1155/2018 (एसटी संख्या 107/2022)

जो अब विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम, राजमहल के समक्ष लंबित है, को खारिच कर दिया जाए और केवल याचिकाकर्ताओं के लिए रद्द किया जाये

5. विद्वान अपर पी.पी. दूसरी ओर राज्य की ओर से जोरदार ढंग से याचिकाकर्ता के द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजमहल द्वारा राधानगर थाना कांड संख्या 153/2018 के सम्बंधित जीआर संख्या 1155 का 2018(एस.टी. संख्या 107/2022 जो अभी विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 न्यायालय में लंबित है, में पारित आदेश दिनांक 06.09.2019 को रद्द एवं खारिच करने का विरोध करते है इनके द्वरा पुनः कहा गया है कि यह मामला गंभीर अपराध से सम्बंधित है इसलिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजमहल, सम्बंधित राधा नगर थाना कांड संख्या 153/ 2018,संबंधित जीआर संख्या 1155/2018 (एसटी संख्या 107/2022) जो अब विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम राजमहल के न्यायालय में लंबित है में पारित आदेश दिनांक 06/09/2019 को खारिच एवं रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

6. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में सामग्री का अध्ययन करने के बाद, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि **नूपुर तलवार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2012) 11 एससीसी 465 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है**

पैरा -23 में रिपोर्ट किया गया है, जो निम्नानुसार है: -

> *"23. <u>ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में, मजिस्ट्रेट के लिए यह उचित था कि वह एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करे, जिसमें यह बताया गया हो कि वह क्लोजर रिपोर्ट में प्रार्थना की गई राय से अलग विचार क्यों अपना रही थी</u>। मजिस्ट्रेट के लिए यह भी समीचीन है कि वह उन कारणों को दर्ज करे कि शिकायतकर्ता (डॉ. राजेश तलवार) द्वारा आगे की जांच के लिए किए गए अनुरोध को क्यों अस्वीकार किया जा रहा है। यहां तक कि तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता (डॉ. राजेश तलवार) को आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा था, कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता थी। ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में पारित आदेश, उसके आधार को रेखांकित किए बिना, अविवेकपूर्ण होता। निश्चित रूप से मजिस्ट्रेट के श्रमसाध्य प्रयास की विशेष प्रशंसा की आवश्यकता है। (महत्त्व सन्निविष्ट)*

कि यदि कोई मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट में प्रार्थना किए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखता है, तो मजिस्ट्रेट को एक सुविचारित आदेश पारित करना होगा अन्यथा ऐसा आदेश अविवेकपूर्ण होगा।

7. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, मजिस्ट्रेट ने दिनांक 06.09.2019 के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ताओं को मुकदमे के लिए नहीं भेजा गया है, फिर भी यांत्रिक रूप से, बिना कोई कारण बताए या सामग्री पर चर्चा किए बिना, किस आधार पर, उन्होंने आरोप-पत्र में उल्लिखित एक से अलग दृष्टिकोण लिया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सबूतों की कमी है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भी संज्ञान लिया है।

8. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है और उक्त आदेश को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है जहां न्याय के हित में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेते हुए दिनांक 06.09.2019 के आदेश को खारिच करने और रद्द रखने की आवश्यकता है।

9. तदनुसार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, राजमहल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2019, राधानगर थाना कांड संख्या 153/2018 के अनुरूप जीआर संख्या 1155/2018 (एसटी

संख्या 107/2022) के संबंध में, जो अब विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम, राजमहल के समक्ष लंबित है, को खारिच कर दिया जाता है और केवल याचिकाकर्ताओं के लिए रद्द किया जाता है।

10. मामला विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी राजमहल को नए शिरे से आदेश पारित करने के लिए भेजा जाता है, यदि संज्ञान के सम्बन्ध में अभिलेख पर याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध सामग्री उपलब्ध है तो एक तर्क युक्त आदेश पारित किया जाय

11. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुमति दी जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च
न्यायालय, रांची दिनांक
19 अप्रैल, 2024
एएफआर/अनिमेश-
सरोज

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।